

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
मालदीव गणराज्य की सरकार
के बीच

विमान सेवा करार

मालदीव गणराज्य तथा यूनाइटेड भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात 'पक्ष') कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे अन्तरराष्ट्रीय विमानन सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहते हैं;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा विमान की सुरक्षा के विरुद्ध धमकी या कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद- एक
परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. "वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय प्रत्येक पक्ष के लिए प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों से है जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समय-समय पर लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है,
2. 'करार' का आशय इस 'करार', इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;
3. 'अभिसमय का आशय', 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी संशोधन को अपनाया गया है;
4. 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

5. 'पूर्ण लागत' का आशय प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत, जिसे तथा प्रशासनिक ओवरहेड के लिए उपयुक्त प्रभार सहित लागत से है;
6. 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं' का आशय एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के राज्य क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरती हो;
7. आयटा शब्द का आशय अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ से है,
8. 'गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' एयरलाइन और विमान सेवा का आशय वही है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में इनके लिए दिया गया है;
9. टैरिफ शब्द का अभिप्राय यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए एयरलाइनों, उनके एजेन्टों तथा इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों पर लिया जाने वाला कोई किराया, दर अथवा प्रभार से है,
10. 'उपयोगिता प्रभार' का आशय वह प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - दो अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार को निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को तत्पश्चात क्रमशः सहमत सेवाएं तथा "विनिर्दिष्ट" मार्ग कहा गया है।
2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-
 - (क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
 - (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और
 - (ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अंतरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;
3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उन नामित कम्पनियों से अलग, प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों को पाने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गो में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

अनुच्छेद - तीन
पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए कितनी भी संख्या में अनुलग्नक में दिए गए निर्दिष्ट रूटों पर विमान कम्पनियों को नामित कर सकती है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी से लिखित रूप से अन्य संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यम के द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए जो अनुबन्ध में दिए गए विमान सेवाओं के प्रकार के अनुरूप प्राधिकृत है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण नामित एयरलाइन के पास होगा जिसमें एक पक्ष के राष्ट्रिक या दो पक्ष के राष्ट्रिक हो;
- (ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;
- (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-6 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-7 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद - चार
प्राधिकार का प्रतिसंहरण

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, निलम्बन सीमित रख सकती है बशर्ते कि:

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य संविदाकारी पक्ष, पक्ष के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित नहीं है।
- (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-5 (कानूनों की प्रयोज्यता) मर्तणित कानूनों, विनियमों और नियमों का पालन करने में असफल रहती है;

(ग) अन्य संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद-7 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रही है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ ख अथवा ग के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-7 (विमान संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों की प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार अथवा, तकनीकी अनुमति पर शर्तें लगा सके।

अनुच्छेद - पांच कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मियों अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क और संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मियों अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष आब्रजन, संगरोध तथा इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में लगी हुई अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी किसी अन्य एयरलाइंस अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइंस को कोई अग्रता प्रदान नहीं करेगी।

अनुच्छेद-छः संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मों, विमान और नामित विमान कम्पनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी

रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलम्बन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्ष एक उपयुक्त समय में उपयुक्त निवारक कार्रवाई न कर दे।

4. पैराग्राफ 3 के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की कोई कार्रवाई उस समय समाप्त कर दी जाएगी यदि उक्त कार्रवाई वर्तमान में ही कर दी गई है।

अनुच्छेद- सात विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकाल, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को समी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का

प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने तथा इस बात के लिए पर्याप्त उपाय करने पर सहमत है कि अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मियों, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उस की जांच करने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा होता है या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकरण तथा तकनीकी अनुमति वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपातस्थिति में आवश्यकता होने पर एक पक्ष 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद - आठ वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के संबंध प्रवेश, रिहायश तथा रोजगार के संबंध में कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार कार्य करने का अधिकार होगा जिससे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेष सेवा प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान सेवाओं की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से

अथवा एयरलाइन के विवेक से इसके एजेंटों के माध्यम से कर सकती है सिवाय उस स्थिति को छोड़कर उस देश के चार्टर विनियमों में विशेष रूप से व्यवस्था की गई हो जिस देश से चार्टर आरंभ होती है। जो यात्री निधियों, यात्रा रद्द तथा वापसी अधिकारों के साथ है। प्रत्येक एयरलाइन को इस प्रकार के परिवहन को इस प्रकार से बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र के मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने का अधिकारी होगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की मांग आने पर स्थानीय रूप से वितरित अधिकाय स्थानीय राजस्व को इसके अपने देश में परिवर्तन तथा जमा करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और जमा करने की अनुमति, जमा करने के लिए आरंभिक आवेदन करने के लिए विमान कम्पनी की लागू जमा करने की तारीख चालू कारोबार तथा लागू विनियम दर पर प्रतिबंध अथवा कराधान किए बिना तत्काल अनुमति दी जाएगी।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को स्थानीय व्यय के लिए भुगतान करने की अनुमति होगी जिसमें स्थानीय मुद्रा में अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की खरीद भी शामिल होगी। उनकी मर्जी पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में इस प्रकार के व्यय के लिए स्थानीय मुद्रा विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकेगी।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के होने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का निर्वाह लागू अंतर्देशीय कानूनों, विनियमों और नियमों के अनुरूप होगा तथा दोनों पक्ष यह निर्धारित करेंगे कि कानून विनियम तथा नियमों की व्यवस्था एक गैर भेदभावपूर्ण कार्यवाही होगी तथा इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप होगी।

7. दोनों पक्ष अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर, यथा आवश्यक हवाईअड्डा स्लाट्स के नामन, हैंडलिंग सेवाओं, हवाई सेवाओं के विक्रय की क्षमता, कस्टम शुल्क तथा प्रभारों के प्रत्यायोजन, प्रयोक्ता प्रभारों, मुद्रा के परिवर्तन तथा प्रेषण के संबंध में, किन्तु इन तक सीमित नहीं, पक्षों की नामित एयरलाइनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले किसी भी पक्षपात अथवा अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के सभी उपाय अपनाएंगे।

अनुच्छेद - नौ सहकारी मार्केटिंग प्रबन्ध

1. जब विनिर्दिष्ट मार्ग (मार्गों) पर सहमत तथा सभी कार्गो सेवाओं का प्रचालन अथवा होल्डिंग करते समय दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्ध जैसे कि कोड शेयर, ब्लाक स्पेय तथा अन्य संयुक्त उद्यम प्रबंधों में भाग ले सकती है।

- (क) उसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
- (ख) अन्य संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

(ग) तीसरे देश की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

2. पैरा 1 के तहत प्रचालन करने वाली सभी एयरलाइनें:-

(क) सक्षम प्राधिकार होल्ड आउट करेंगी, तथा

(ख) ऐसे करार पर सामान्यतः लागू सभी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनें) अन्य पक्ष के अधिकार क्षेत्र में विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं को जोड़ते हुए दो स्थानों के बीच प्रचालन के लिए अन्य पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ अंतरदेशीय कोड-शेयरिंग करार करेंगी।

4. एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में स्थानों के बीच अनुत्त-व्यापार अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगी। तथापि, एक पक्ष के नामित एयरलाइन (एयरलाइनें), अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में स्थानों के बीच के सेगमेंट्स पर प्रवेश के समय के चौबीस(24) घंटे के भीतर अपने खुद के स्टाप-ओवर ट्रेफिक वाहित कर सकती है।

5. ऐसे करारों के तहत निष्पादित हवाई सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना केवल प्रचालन करने वाली एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में ही होगी। ऐसी सेवाओं पर मार्केटिंग एयरलाइन द्वारा ऑफर क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में नहीं की जाएगी।

6. ऐसे करारों के तहत, बिक्री के लिए सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, मार्केटिंग एयरलाइन बिक्री के समय खरीददार के समक्ष यह स्पष्ट करेंगी कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन करेगी तथा किस एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ खातेदार एक करारगत संबंध बना रहा है।

अनुच्छेद - दस सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन को इसके विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मदें शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूटें पैरा 1 में संदर्भित मदों पर लागू होंगी :

- (क) अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए;
- (ख) अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान में रखे गए;
- (ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर उड़ान के भीतर अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए और सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु प्रवृत्त; चाहे ऐसी मदों का छूट प्रदान करने वाले पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर पूरी तरह उपयोग अथवा उपभोग हुआ हो अथवा नहीं, बशर्ते ऐसे मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं किया गया हो ।
3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित वायुयान उपस्कर के साथ-साथ सामग्रियों तथा आपूर्तियों को अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में केवल उस अन्य पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है । ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार पुनः उनका निर्यात अथवा अन्यथा निपटान हो जाने तक इन्हें किये जाने तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षणधीन रखा जाए ।

अनुच्छेद - ग्यारह प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकार्यों द्वारा अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण होंगे, अन्यायपूर्ण रूप से प्रक्षपातपूर्ण नहीं होंगे, और प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुभाजित होंगे । किसी भी स्थिति में, ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर अभिकलन ऐसी शर्तों पर नहीं किया जाएगा जो प्रभारों को अभिकलित किए जाते समय अन्य किसी एयरलाइन को उपलब्ध सर्वाधिक अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल हों ।
2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाले निकार्यों अथवा सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों, हवाई अड्डा पर्यावरण, हवाई दिक्कालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डा व्यवस्था के भीतर सेवाओं की पूर्ण लागत परिलक्षित होंगी, किन्तु ये इनसे अधिक नहीं होंगे । इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन पश्चात परिसम्पत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है । जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, उन्हें एक कार्यकुशल तथा मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्य क्षेत्र में सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग कर रही एयरलाइनों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगा और सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा एयरलाइनों को पैरा 1 तथा 2 के सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की अनुमति के लिए आवश्यक ऐसी सूचना के विनिमय के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों को प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोजनाओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तनों के किसी प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण नोटिस प्रदान करें जिससे कि प्रयोक्ता परिवर्तनों के लिए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।

4. कोई भी पक्ष, अनुच्छेद 17 (विचार विमर्श तथा विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं में, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगा, जहां तक (i) यह एक औचित्यपूर्ण समयावधि के भीतर उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने में विफल न हो जो अन्य पक्ष द्वारा की गई शिकायत का विषय है; अथवा (ii) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में यह अपनी शक्तियों के भीतर इस अनुच्छेद के विपरीत किसी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के सारे कदम उठाने में विफल न हो।

अनुच्छेद - बारह आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।

2. अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक "आयटा" यातायात सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे।

अनुच्छेद - तेरह टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित की जाने वाली सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ की स्थापना न्यायोचित स्तरों पर की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित कारकों पर

उचित ध्यान दिया जाएगा, जिनमें प्रचालन की लागत, तर्कसंगत लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ शामिल हैं।

2. पैरा 1 के तहत स्थापित टैरिफों को एक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, जिसमें

- (क) अनुचित रूप से पक्षपातपूर्ण मूल्यों अथवा परिपाटियों की रोकथाम की जा सके;
- (ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा की जा सके जो निजी एकाधिकार वाली स्थिति के दुरुपयोग की वजह से अत्यधिक अथवा रोधक हों; तथा
- (ग) एयरलाइनों की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो अनैतिक अथवा कृत्रिम रूप से कम हों।

4. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से टैरिफ की स्थापना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद - चौदह इन्टरमोडल कार्गो सेवाएं

इस करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद दोनों पक्षों की एयरलाइनों तथा कार्गो पारवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को बिना प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में पक्षों के राज्य क्षेत्रों अथवा तीसरे देशों में किसी भी स्थान से तथा के लिए कार्गो के लिए कोई भूतल पारवहन नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें कस्टम सुविधा से युक्त सभी हवाई अड्डों के लिए तथा से परिवहन शामिल हैं तथा जहां लागू हो, प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के तहत कार्गो का परिवहन बंधपत्र में करने का अधिकार शामिल हैं। ऐसे कार्गो को चाहे इस भूतल से अथवा वायुमार्ग द्वारा लाया ले जाया जाए को हवाई अड्डा कस्टम प्रक्रिया तथा सुविधाएं सुलभ होंगी। एयरलाइनें अपना स्वयं का पारवहन निष्पादित करने का विकल्प चुन सकती हैं अथवा इसे अन्य भूतल वाहकों के साथ करारों के जरिए उपलब्ध करा सकती हैं जिनमें अन्य एयरलाइनों तथा कार्गो हवाई सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित भूतल पारवहन शामिल हैं। ऐसी इन्टरमोडल कार्गो सेवाओं की पेशकश एक एकल तथा संयुक्त रूप से हवाई भूतल पारवहन के मूल्य के द्वारा की जा सकती है बशर्ते जलयान वाहकों को ऐसे पारवहन से संबंधित तथ्यों के प्रति दिग्भ्रमित न किया जाए।

अनुच्छेद - पंद्रह परामर्श एवं विवादों का निपटान

1. प्रत्येक पक्ष, किसी भी समय, इस करार के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श यथासंभव शीघ्र आरंभ होंगे, किन्तु, अगर अन्यथा सहमत न हों तो, अन्य पक्ष द्वारा अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन से अधिक नहीं।

2. इस अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श के पहले दौर में सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजे जा सकते हैं। यदि पक्ष सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध से, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. मध्यस्थता एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :
 - (क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो माध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
 - (ख) यदि कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के उप-पैरा (ख) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से एक पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता नहीं होगी।
4. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगी और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अभिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।
5. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।
6. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

7. दोनों पक्ष निर्णय के लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के अनुरोध कर सकती हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा ।

8. प्रत्येक पक्ष, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक माध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा ।

9. माध्यस्थ अभिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्च शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा । इस अनुच्छेद के पैरा 3(ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा ।

अनुच्छेद - सोलह संशोधन

1. इस करार को दोनों पक्षों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जाएगा ।
2. इस प्रकार सहमत कोई भी करार तब लागू होगा जब पक्ष अपनी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर चुके होंगे तथा एक दूसरे को लिखित रूप में अधिसूचित कर चुकी होंगी कि किसी संशोधन अथवा पुनरीक्षण के लागू होने के लिए उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, सिवाय इसके कि इस करार की अनुसूची को वैमानिकी प्राधिकारियों के पारस्परिक लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।
3. यदि, इस करार के लागू हो जाने के बाद, दोनों पक्ष एक ऐसे पारस्परिक करार के पक्ष बन जाते हैं जिसमें इस करार में शामिल मामलों पर विचार किया गया हो, तो कोई भी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या पारस्परिक करार को ध्यान में रखने के लिए इस करार का पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - सत्रह समाप्ति

कोई भी पक्ष किसी भी समय करार समाप्त करने के अपने निर्णय का लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकती है। ऐसा नोटिस उसी समय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेज दिया जाएगा। यह करार दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार के पक्षों द्वारा नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता ।

अनुच्छेद - अठारह इकाओ में पंजीकरण

यह करार तथा इसके सभी संशोधन हस्ताक्षर सहित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत रहेंगे।


अनुच्छेद - उन्नीस
प्रभावी होना

यह करार तथा इसके अनुलग्नक दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक नोट जो यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक पक्षने इस करार तथा इसके अनुलग्न के प्रभावी होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, के आदान प्रदान के बाद वाले नोट की तिथि से प्रभावी होंगे।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होते हुए, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2008 के दिसम्बर माह के 24वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के दो मूल पाठों में संपन्न किया गया; दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। संदेह ही स्थिति में अंग्रेजी का पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



प्रणब मुखर्जी
विदेश मंत्री

मालदीव गणराज्य की सरकार
की ओर से



डा० मोहम्मद जमील अहमद
नागर विमानन व संचार मंत्री

अनुबंध
अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं

मार्ग

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर अवतरण स्थलों के मध्य अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं निष्पादित के लिए पात्र होंगी :

खण्ड- I

मालदीव गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग

मार्ग I

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	दिल्ली मुम्बई चेन्नई कोलकाता हैदराबाद बंगलौर	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

मार्ग- II

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	अहमदाबाद अमृतसर औरंगाबाद भुवनेश्वर कालीकट कोचीन गया गोवा गुवाहाटी जयपुर खजुराहो लखनऊ	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

		पटना पोर्ट ब्लेयर तिरुवनन्तपुरम तिरुचिरापल्ली वाराणसी विशाखापटनम	
--	--	---	--

खण्ड- II

भारत गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग

मार्ग - I

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
भारत में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	कोई भी स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

मार्ग - II

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	मालदीव के स्थान	परवर्ती स्थान
अहमदाबाद अमृतसर औरंगाबाद भुवनेश्वर कालीकट कोचीन गया गोवा गुवाहाटी जयपुर खजुराहो लखनऊ पटना पोर्ट ब्लेयर तिरुवनन्तपुरम तिरुचिरापल्ली वाराणसी विशाखापटनम	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	कोई भी स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

खण्ड - III

1. खण्ड I तथा खण्ड II में वर्णित स्थानों पर दिए गए क्रम में सेवा प्रदान करना अनिवार्यता माध्यम नहीं है।
2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती तथा परवर्ती स्थानों को नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों से विलोप किया जा सकता है।
3. खण्ड I तथा खण्ड II में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए मध्यवर्ती अथवा परवर्ती स्थानों पर सेवा प्रदान की जा सकती है बशर्ते ऐसे स्थानों के बीच तथा अन्य अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।
4. एक पक्ष के राज्यक्षेत्र में दो या इससे अधिक स्थानों पर अन्य पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा एक ही उड़ान पर सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।

**भारत गणराज्य की सरकार
तथा
मालदीव गणराज्य की सरकार
के बीच**

विमान सेवा करार

मालदीव गणराज्य तथा यूनाइटेड भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात 'पक्ष') कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे अन्तरराष्ट्रीय विमानन सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहते हैं;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा विमान की सुरक्षा के विरुद्ध धमकी या कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद- एक परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. "वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय प्रत्येक पक्ष के लिए प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों से है जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समय-समय पर लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है,
2. 'करार' का आशय इस 'करार', इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;
3. 'अभिसमय का आशय', 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी संशोधन को अपनाया गया है;
4. 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

5. 'पूर्ण लागत' का आशय प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत, जिसे तथा प्रशासनिक ओवरहेड के लिए उपयुक्त प्रभार सहित लागत से है;
6. 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं' का आशय एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के राज्य क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरती हो;
7. आयटा शब्द का आशय अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ से है,
8. 'गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' एयरलाइन और विमान सेवा का आशय वही है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में इनके लिए दिया गया है;
9. टैरिफ शब्द का अभिप्राय यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए एयरलाइनों, उनके एजेन्टों तथा इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों पर लिया जाने वाला कोई किराया, दर अथवा प्रभार से है,
10. 'उपयोगिता प्रभार' का आशय वह प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्कालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - दो अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार को निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को तत्पश्चात क्रमशः सहमत सेवाएं तथा "विनिर्दिष्ट" मार्ग कहा गया है।
2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-
 - (क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
 - (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और
 - (ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अन्तरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;
3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उन नामित कम्पनियों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों को पाने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गो में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

अनुच्छेद - तीन
पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए कितनी भी संख्या में अनुलग्नक में दिए गए निर्दिष्ट रूटों पर विमान कम्पनियों को नामित कर सकती है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी से लिखित रूप से अन्य संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यम के द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए जो अनुबन्ध में दिए गए विमान सेवाओं के प्रकार के अनुरूप प्राधिकृत है।
2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण नामित एयरलाइन के पास होगा जिसमें एक पक्ष के राष्ट्रिक या दो पक्ष के राष्ट्रिक हो;
- (ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;
- (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-6 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-7 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद - चार
प्राधिकार का प्रतिसंहरण

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, निलम्बन सीमित रख सकती है बशर्ते कि:

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य संविदाकारी पक्ष, पक्ष के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित नहीं है।
- (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-5 (कानूनों की प्रयोज्यता) मतर्णित कानूनों, विनियमों और नियमों का पालन करने में असफल रहती है;

(ग) अन्य संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद-7 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रही है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ ख अथवा ग के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-7 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों की प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार अथवा, तकनीकी अनुमति पर शर्तें लगा सकें।

अनुच्छेद - पांच कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मियों अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क और संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मियों अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनु रूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष आब्रजन, संगरोध तथा इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में लगी हुई अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी किसी अन्य एयरलाइंस अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइंस को कोई अग्रता प्रदान नहीं करेगी।

अनुच्छेद-छः संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मियों, विमान और नामित विमान कम्पनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी

रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलम्बन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्ष एक उपयुक्त समय में उपयुक्त निवारक कार्रवाई न कर दे।

4. पैराग्राफ 3 के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की कोई कार्रवाई उस समय समाप्त कर दी जाएगी यदि उक्त कार्रवाई वर्तमान में ही कर दी गई है।

अनुच्छेद- सात विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉड्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉड्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकाल, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कर्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का

प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

4. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने तथा इस बात के लिए पर्याप्त उपाय करने पर सहमत है कि अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उस की जांच करने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा होता है या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्वालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकरण तथा तकनीकी अनुमति वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपातस्थिति में आवश्यकता होने पर एक पक्ष 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद - आठ वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के संबंध प्रवेश, रिहायश तथा रोजगार के संबंध में कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार कार्य करने का अधिकार होगा जिससे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेष सेवा प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान सेवाओं की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से

अथवा एयरलाइन के विवेक से इसके एजेंटों के माध्यम से कर सकती है सिवाय उस स्थिति को छोड़कर उस देश के चार्टर विनियमों में विशेष रूप से व्यवस्था की गई हो जिस देश से चार्टर आरंभ होती है। जो यात्री निधियों, यात्रा रद्द तथा वापसी अधिकारों के साथ है। प्रत्येक एयरलाइन को इस प्रकार के परिवहन को इस प्रकार से बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र के मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने का अधिकारी होगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की मांग आने पर स्थानीय रूप से वितरित अधिकाय स्थानीय राजस्व को इसके अपने देश में परिवर्तन तथा जमा करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और जमा करने की अनुमति, जमा करने के लिए आरंभिक आवेदन करने के लिए विमान कम्पनी की लागू जमा करने की तारीख चालू कारोबार तथा लागू विनियम दर पर प्रतिबंध अथवा कराधान किए बिना तत्काल अनुमति दी जाएगी।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को स्थानीय व्यय के लिए भुगतान करने की अनुमति होगी जिसमें स्थानीय मुद्रा में अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की खरीद भी शामिल होगी। उनकी मर्जी पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में इस प्रकार के व्यय के लिए स्थानीय मुद्रा विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकेगी।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के होने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का निर्वाह लागू अंतर्देशीय कानूनों, विनियमों और नियमों के अनुरूप होगा तथा दोनों पक्ष यह निर्धारित करेंगे कि कानून विनियम तथा नियमों की व्यवस्था एक गैर भेदभावपूर्ण कार्यवाही होगी तथा इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप होगी।

7. दोनों पक्ष अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर, यथा आवश्यक हवाईअड्डा स्लाट्स के नामन, हैंडलिंग सेवाओं, हवाई सेवाओं के विक्रय की क्षमता, कस्टम शुल्क तथा प्रभारों के प्रत्यायोजन, प्रयोक्ता प्रभारों, मुद्रा के परिवर्तन तथा प्रेषण के संबंध में, किन्तु इन तक सीमित नहीं, पक्षों की नामित एयरलाइनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले किसी भी पक्षपात अथवा अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के सभी उपाय अपनाएंगे।

अनुच्छेद - नौ सहकारी मार्केटिंग प्रबन्ध

1. जब विनिर्दिष्ट मार्ग (मार्गों) पर सहमत तथा सभी कार्गो सेवाओं का प्रचालन अथवा होल्डिंग करते समय दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्ध जैसे कि कोड शेयर, ब्लॉक स्पेय तथा अन्य संयुक्त उद्यम प्रबंधों में भाग ले सकती है।

- (क) उसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
- (ख) अन्य संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

(ग) तीसरे देश की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

2. पैरा 1 के तहत प्रचालन करने वाली सभी एयरलाइनें:-

(क) सक्षम प्राधिकार होल्ड आउट करेंगी, तथा

(ख) ऐसे करार पर सामान्यतः लागू सभी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनें) अन्य पक्ष के अधिकार क्षेत्र में विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं को जोड़ते हुए दो स्थानों के बीच प्रचालन के लिए अन्य पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ अंतरदेशीय कोड-शेयरिंग करार करेंगी।

4. एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में स्थानों के बीच अनुत्त-व्यापार अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगी। तथापि, एक पक्ष के नामित एयरलाइन (एयरलाइनें), अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में स्थानों के बीच के सेगमेंट्स पर प्रवेश के समय के चौबीस(24) घंटे के भीतर अपने खुद के स्टाप-ओवर ट्रेफिक वाहित कर सकती है।

5. ऐसे करारों के तहत निष्पादित हवाई सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना केवल प्रचालन करने वाली एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में ही होगी। ऐसी सेवाओं पर मार्केटिंग एयरलाइन द्वारा ऑफर क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में नहीं की जाएगी।

6. ऐसे करारों के तहत, बिक्री के लिए सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, मार्केटिंग एयरलाइन बिक्री के समय खरीददार के समक्ष यह स्पष्ट करेंगी कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन करेगी तथा किस एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ खातेदार एक करारगत संबंध बना रहा है।

अनुच्छेद - दस सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन को इसके विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज, जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मर्दे शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मर्दों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूटें पैरा 1 में संदर्भित मदों पर लागू होंगी :

(क) अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए;

(ख) अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान में रखे गए;

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर उड़ान के भीतर अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए और सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु प्रवृत्त;

वाहे ऐसी मदों का छूट प्रदान करने वाले पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर पूरी तरह उपयोग अथवा उपभोग हुआ हो अथवा नहीं, बशर्ते ऐसे मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं किया गया हो ।

3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित वायुयान उपस्कर के साथ-साथ सामग्रियों तथा आपूर्तियों को अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में केवल उस अन्य पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है । ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार पुनः उनका निर्यात अथवा अन्यथा निपटान हो जाने तक इन्हें किये जाने तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाए ।

अनुच्छेद - ग्यारह प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण होंगे, अन्यायपूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे, और प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुभाजित होंगे । किसी भी स्थिति में, ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर अभिकलन ऐसी शर्तों पर नहीं किया जाएगा जो प्रभारों को अभिकलित किए जाते समय अन्य किसी एयरलाइन को उपलब्ध सर्वाधिक अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल हों ।

2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाले निकायों अथवा सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों, हवाई अड्डा पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डा व्यवस्था के भीतर सेवाओं की पूर्ण लागत परिलक्षित होंगी, किन्तु ये इनसे अधिक नहीं होंगे । इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन पश्चात परिसम्पत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है । जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, उन्हें एक कार्यकुशल तथा मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्य क्षेत्र में सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग कर रही एयरलाइनों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगा और सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा एयरलाइनों को पैरा 1 तथा 2 के सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की अनुमति के लिए आवश्यक ऐसी सूचना के विनिमय के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों को प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोजनाओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तनों के किसी प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण नोटिस प्रदान करें जिससे कि प्रयोक्ता परिवर्तनों के लिए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।

4. कोई भी पक्ष, अनुच्छेद 17 (विचार विमर्श तथा विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं में, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगा, जहां तक (i) यह एक औचित्यपूर्ण समयावधि के भीतर उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने में विफल न हो जो अन्य पक्ष द्वारा की गई शिकायत का विषय है; अथवा (ii) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में यह अपनी शक्तियों के भीतर इस अनुच्छेद के विपरीत किसी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के सारे कदम उठाने में विफल न हो।

अनुच्छेद - बारह आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।

2. अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक "आयटा" यातायात सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे।

अनुच्छेद - तेरह टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित की जाने वाली सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ की स्थापना न्यायोचित स्तरों पर की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित कारकों पर

उचित ध्यान दिया जाएगा, जिनमें प्रचालन की लागत, तर्कसंगत लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ शामिल हैं।

2. पैरा 1 के तहत स्थापित टैरिफों को एक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, जिसमें

- (क) अनुचित रूप से पक्षपातपूर्ण मूल्यों अथवा परिपाटियों की रोकथाम की जा सके;
- (ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा की जा सके जो निजी एकाधिकार वाली स्थिति के दुरुपयोग की वजह से अत्यधिक अथवा रोधक हों; तथा
- (ग) एयरलाइनों की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो अनैतिक अथवा कृत्रिम रूप से कम हों।

4. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से टैरिफ की स्थापना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद - चौदह इंटरमोडल कार्गो सेवाएं

इस करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद दोनों पक्षों की एयरलाइनों तथा कार्गो पारवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को बिना प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में पक्षों के राज्य क्षेत्रों अथवा तीसरे देशों में किसी भी स्थान से तथा के लिए कार्गो के लिए कोई भूतल पारवहन नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें कस्टम सुविधा से युक्त सभी हवाई अड्डों के लिए तथा से परिवहन शामिल हैं तथा जहां लागू हो, प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के तहत कार्गो का परिवहन बंधपत्र में करने का अधिकार शामिल है। ऐसे कार्गो को चाहे इस भूतल से अथवा वायुमार्ग द्वारा लाया ले जाया जाए को हवाई अड्डा कस्टम प्रक्रिया तथा सुविधाएं सुलभ होंगी। एयरलाइनें अपना स्वयं का पारवहन निष्पादित करने का विकल्प चुन सकती हैं अथवा इसे अन्य भूतल वाहकों के साथ करारों के जरिए उपलब्ध करा सकती हैं जिनमें अन्य एयरलाइनों तथा कार्गो हवाई सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित भूतल पारवहन शामिल हैं। ऐसी इंटरमोडल कार्गो सेवाओं की पेशकश एक एकल तथा संयुक्त रूप से हवाई भूतल पारवहन के मूल्य के द्वारा की जा सकती है बशर्ते जलयान वाहकों को ऐसे पारवहन से संबंधित तथ्यों के प्रति दिग्भ्रमित न किया जाए।

अनुच्छेद - पंद्रह परामर्श एवं विवादों का निपटान

1. प्रत्येक पक्ष, किसी भी समय, इस करार के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श यथासंभव शीघ्र आरंभ होंगे, किन्तु, अगर अन्यथा सहमत न हों तो, अन्य पक्ष द्वारा अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन से अधिक नहीं।

2. इस अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श के पहले दौर में सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजे जा सकते हैं। यदि पक्ष सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध से, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. मध्यस्थता एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो माध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

(ख) यदि कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के उप-पैरा (ख) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से एक पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता नहीं होगी।

4. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगी और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अभिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।

5. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।

6. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

7. दोनों पक्ष निर्णय के लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के अनुरोध कर सकती हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा ।

8. प्रत्येक पक्ष, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक माध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा ।

9. माध्यस्थ अभिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्च शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा । इस अनुच्छेद के पैरा 3(ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा ।

अनुच्छेद - सोलह संशोधन

1. इस करार को दोनों पक्षों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जाएगा ।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी करार तब लागू होगा जब पक्ष अपनी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर चुके होंगे तथा एक दूसरे को लिखित रूप में अधिसूचित कर चुकी होंगी कि किसी संशोधन अथवा पुनरीक्षण के लागू होने के लिए उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, सिवाय इसके कि इस करार की अनुसूची को वैमानिकी प्राधिकारियों के पारस्परिक लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।

3. यदि, इस करार के लागू हो जाने के बाद, दोनों पक्ष एक ऐसे पारस्परिक करार के पक्ष बन जाते हैं जिसमें इस करार में शामिल मामलों पर विचार किया गया हो, तो कोई भी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या पारस्परिक करार को ध्यान में रखने के लिए इस करार का पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - सत्रह समाप्ति

कोई भी पक्ष किसी भी समय करार समाप्त करने के अपने निर्णय का लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकती है। ऐसा नोटिस उसी समय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेज दिया जाएगा। यह करार दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार के पक्षों द्वारा नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता।

अनुच्छेद - अठारह इकाओ में पंजीकरण

यह करार तथा इसके सभी संशोधन हस्ताक्षर सहित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत रहेंगे।

अनुच्छेद - ७३
प्रभाषी होना

यह करार तथा इसके अर्जलानक दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक नोट जा
सुनिश्चित करे कि प्रत्येक पक्षने इस करार तथा इसके अर्जलान के प्रभाषी होने के लिए
आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ले है, के आदान प्रदान के बाद वाले नोट की दिशि से
प्रभाषी होंगे।

इसके साथ में अष्टाहस्ताक्षरियों ने, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होते हुए, इस
करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष २००८ के दिसम्बर माह के २४वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के
दो मूल पाठों में संपन्न किया गया; दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। संदेह ही स्थिति में
अंग्रेजी का पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से
प्रणव मुखर्जी
विदेश मंत्री

भारतीय गणराज्य की सरकार
की ओर से
लाल मोहम्मद जमाल अहमद
नागर विमानन व संचार मंत्री

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	साई क्षेत्र में कोई भी स्थान	अहमदाबाद	साई क्षेत्र में कोई भी स्थान
		अमृतसर	
		औरंगाबाद	
		मुंबई	
		कलकत्ता	
		कोचीन	
		गया	
		गावा	
		गुवाहाटी	
		जयपुर	
		खजुराहो	
		लखनऊ	

भाग-11

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	साई क्षेत्र में कोई भी स्थान	दिल्ली	साई क्षेत्र में कोई भी स्थान
		मुंबई	
		चेन्नई	
		कोलकाता	
		हैदराबाद	
		बंगलौर	

भाग 1

मालदीव गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए भाग

खण्ड-1

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित भागों पर अवतरण स्थलों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं निष्पादित के लिए पात्र होंगी :

भाग

अनुबंध
अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

खण्ड - III

1. खण्ड I तथा खण्ड II में वर्णित स्थानों पर दिए गए क्रम में सेवा प्रदान करना अनिवार्यता माध्यम नहीं है ।
2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती तथा परवर्ती स्थानों को नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों से विलोप किया जा सकता है ।
3. खण्ड I तथा खण्ड II में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए मध्यवर्ती अथवा परवर्ती स्थानों पर सेवा प्रदान की जा सकती है बशर्ते ऐसे स्थानों के बीच तथा अन्य अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।
4. एक पक्ष के राज्यक्षेत्र में दो या इससे अधिक स्थानों पर अन्य पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा एक ही उड़ान पर सेवा प्रदान नहीं की जाएगी ।

Air Service Agreement

between

The Government of the Republic of India

and

***The Government of the Republic of
Maldives***

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives (hereinafter referred to as the "Parties");

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December, 1944;

Desiring to promote international air services between their respective territories;

Desiring to promote an international aviation system based on competition among airlines;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air services and reaffirming their grave concern about acts or threats against the security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air services and undermine public confidence in the safety of civil aviation;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement, unless otherwise stated, the term:

1. "Aeronautical authorities" means for each Party the authority or authorities as notified in writing from time to time by one Party to the other Party;
2. "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
3. "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December, 1944, and includes any amendment that has entered into force under Article 94(a) of the Convention and has been ratified by both Parties, and any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention, insofar as such Annexes or amendments are at any given time effective for both Parties;
4. "Designated airline" means an airline designated and authorised in accordance with Article 3 (Designation and Authorisation) of this Agreement;
5. "Full cost" means the cost of providing service plus a reasonable charge for administrative overhead;
6. "International air service" means an air service that passes through the airspace over the territory of more than one State;
7. "IATA" means the International Air Transport Association;

8. "Stop for non-traffic purposes", "airline", "air service" and "territory" have the meaning specified in Articles 2 and 96 of the Convention; and

9. "Tariff" means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their baggage) and/or cargo (excluding mail) in air service charged by airlines, including their agents, and the conditions governing the availability of such fare, rate or charge;

10. "User charges" means a charge imposed on airlines for the provision of airport, air navigation or aviation security facilities or services, including related services and facilities.

Article 2

Grant of Rights

1. Each Party grants to the other Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes", respectively.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline(s) designated by each Party shall enjoy the following rights:

- (a) to fly without landing across the territory of the other Party;
- (b) to make stops in the territory of the other Party for non-traffic purposes; and
- (c) while operating an agreed service on the specified route, the airline(s) designated by each Party shall also enjoy the right to embark and disembark, in the territory of the other Party at the point(s) specified for that route in the schedule to this Agreement, international traffic in passengers and cargo including mail, separately or in combination.

3. The airline(s) of each Party, other than those designated under Article 3 (Designation and Authorisation) of this Agreement, shall also enjoy the rights specified in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (2) of this Article.

4. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline(s) of one Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Party, passengers and cargo including mail destined for another point in the territory of that other Party.

Article 3

Designation and Authorisation

1. Each Party shall have the right to designate an airline or airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in the Annex and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing and transmitted to the other Party through diplomatic channels and shall identify whether the airline is authorised to conduct the type of air services specified in the Annex.

2. Upon receipt of such a designation and of applications from the designated airline(s), in the form and manner prescribed for operating authorisations and technical permissions, the other Party shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided :

- (a) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party designating the airline, nationals of that party or both;
- (b) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the Party considering the application or applications; and
- (c) the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set forth in Article 6 (Safety) and Article 7 (Aviation Security).

Article 4

Revocation of Authorisation

1. Either Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline designated by the other Party where:

- (a) substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the other Party, the Party's nationals or both;
- (b) that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to in Article 5 (Applications of Laws) of this Agreement; or
- (c) the other Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Article 6 (Safety).

2. Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with sub-paragraphs 1b or 1c of this Article, the rights established by this Article shall be exercised only after consultation with the other Party.

3. This Article does not limit the rights of either Party to withhold, revoke, limit or impose conditions on the operating authorisation or technical permission of an airline or airlines of the other Party in accordance with the provisions of Article 7 (Aviation Security).

Article 5

Application of Laws

1. While entering, within, or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relating to the operation and navigation of aircraft shall be complied with by the other Party's airlines.

2. While entering, within, or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on aircraft (including regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs and quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be complied with by, or on behalf of, such passengers, crew or cargo of the other Party's airlines.

Article 6

Safety

1. Either Party may request consultations concerning the safety standards maintained in respect of an airline designated by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft and operation of the designated airline(s).

2. If, following such consultations, one Party finds that safety standards in the areas referred to in paragraph (1) that meet the standards established at that time in accordance with the Convention are not effectively maintained and administered in respect of airline(s) designated by the other Party, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Party shall take appropriate corrective action.

3. Each party reserves the right to suspend, or limit the operating authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other Party in the event of the other Party does not take appropriate corrective action within a reasonable time.

4. Any action by one Party in accordance with paragraphs (3) shall be discontinued once the basis for that action ceases to exist.

Article 7

Aviation Security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, done at Tokyo on September 14, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on December 16, 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on September 23, 1971 and its Protocol done at Montreal on February 24, 1988 and any other Convention on aviation security to which both Parties become members.
2. Upon request, the Parties shall provide each other with all necessary assistance to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, of their passengers and crew, of airports and air navigation facilities, and address any other threat to the security of civil air navigation.
3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with all aviation security standards and appropriate recommended practices established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention; they shall require that operators of aircraft of their registry, operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Party agrees to observe the security provisions required by the other Party for entry into and departure from the territory of that other Party and to take adequate measures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, and their baggage and carry-on items, as well as cargo and aircraft stores, prior to and during boarding or loading. Each Party shall also give positive consideration to any request from the other Party for special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports or air navigation facilities occurs, the Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.
6. When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Party. Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such request shall constitute grounds to withhold, revoke, limit, or impose conditions on the operating

authorisation and technical permission of an airline or airlines of that Party. When required by an emergency, a Party may take interim action prior to the expiry of 15 days.

Article 8

Commercial Opportunities

1. The airlines of each Party shall have the right to establish offices in the territory of the other Party for the promotion and sale of air services.
2. The designated airlines of each Party shall be entitled, in accordance with the laws and regulations of the other Party relating to entry, residence and employment, to bring in and maintain in the territory of the other Party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.
3. Any airline of each Party may engage in the sale of air services in the territory of the other Party directly and, at the airline's discretion, through its agents, except as may be specifically provided by the charter regulations of the country in which the charter originates that relate to the protection of passenger funds, passenger cancellation and refund rights. Each airline shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in freely convertible currencies.
4. Each airline shall have the right to convert and remit to its country, on demand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted promptly without restrictions or taxation in respect thereof at the rate of exchange applicable to current transactions and remittance on the date the carrier makes the initial application for remittance.
5. The airlines of each Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other Party in local currency. At their discretion, the airlines of each Party may pay for such expenses in the territory of the other Party in freely convertible currencies according to local currency regulation.
6. Notwithstanding anything contained in this Article, the exercise of rights under this Article shall be in accordance with the applicable domestic rules and regulations, and the Parties stipulate that the rules and regulations shall be administered in a non-discriminatory fashion and consistent with the purposes of the Agreement.

Article 9

Co-operative Marketing Arrangements

1. When operating or holding out the agreed combination and all-cargo services on the specified route(s), any designated airline of either Party may enter into co-operative marketing arrangements, whether as the operating or marketing airline, with

- (a) an airline or airlines of the same Party;
- (b) an airline or airlines of the other Party; or
- (c) an airline or airlines of a third country

2. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the operating airline, the total capacity operated by that airline will be counted against the capacity entitlements of that Party designating the airline.

3. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with the airline of its own country or the airline of the other Party, the total capacity offered by the former airline will not be counted against the capacity entitlements of that Party designating that airline.

4. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with an airline from a third country, the total capacity offered will be counted against the capacity entitlements of both the marketing airline and operating airline.

5. All airlines operating or holding out the above services must hold the appropriate authority including route rights, traffic rights and capacity entitlement and meet the requirements normally applied to such arrangements.

6. The designated airlines of both Parties will, when holding services out for sale, in terms of code-share, blocked-space or other joint venture arrangements, make it clear to the purchaser at the point of sale which airline will be the operating airline on each sector of the service and with which airline(s) the purchaser is entering into a contractual relationship.

Article 10

Customs Duties and Charges

1. Each Party shall, on the basis of reciprocity, exempt a designated airline of the other Party to the fullest extent possible under its national law from customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including but not limited to such items of food, beverages and liquor, tobacco and other products destined for sale or to be used solely in connection with the operation or servicing of aircraft) and other items such as printed ticket stock, air waybills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed free of charge by that designated airline intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other Party operating the agreed services.

2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1:

- (a) introduced into the territory of the Party by or on behalf of the designated airline of the other Party;
- (b) retained on board aircraft of the designated airline of one Party upon arrival in or leaving the territory of the other Party; or
- (c) taken on board aircraft of the designated airline of one Party in the territory of the other Party and intended for use in operating the agreed services;

Whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Party granting the exemption, provided the ownership of such items is not transferred in the territory of the said Party.

3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Party, may be unloaded in the territory of the other Party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 11

User Charges

1. User charges that may be imposed by the competent charging authorities or bodies of each Party on the airlines of the other Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably apportioned among categories of users. In any event, any such user charges shall be assessed on the airlines of the other Party on terms not less favourable than the most favourable terms available to any other airline at the time the charges are assessed.

2. User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not exceed, the full cost of the competent charging authorities or bodies of providing the appropriate airport, airport environmental, air navigation and aviation security facilities and services at the airport or within the airport system. Such full cost may include a reasonable return on assets, after depreciation. Facilities and services for which charges are made shall be provided on an efficient and economic basis.

3. Each Party shall encourage consultations between the competent charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services and facilities, and shall encourage the competent charging authorities or bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance with the principles of paragraphs 1 and 2. Each Party shall encourage the competent charging authorities to provide users with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable users to express their views before changes are made.

4. Neither party shall be held, in dispute resolution procedures pursuant to Article 15 (Consultation and Settlement of Disputes), to be in breach of a provision of this Article, unless (i) it fails to undertake a review of the charge or practice that is the subject of complaint by the other Party within a reasonable amount of time; or (ii) following such a review, it fails to take all steps within its power to remedy any charge or practice that is inconsistent with this Article.

Article 12

Provision of Statistics

1. The aeronautical authorities of each Party shall provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the territory of that other Party, showing the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month, but not later than 30 days following the month to which they relate.

2. The aeronautical authorities of each Party shall, on request, provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to true origin and destination of traffic carried to and from the territory of that other Party for a period, not exceeding one IATA traffic season, as specified in the request.

Article 13

Tariff

1. The tariffs in respect of the agreed services operated by the designated airline(s) of each Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including the cost of operation, reasonable profit and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs established under paragraph (1) shall not be required to be filed by the designated airline(s) of one Party with the aeronautical authorities of the other Party.

3. Notwithstanding the foregoing, each Party shall have the right to intervene so as to:

- (a) prevent unreasonably discriminatory prices or practices;
- (b) protect consumers from prices that are excessive or restrictive due to the abuse of a dominant position; and
- (c) protect airlines from prices that are predatory or artificially low.

4. Notwithstanding the foregoing, the designated airlines of each Party shall provide, on request, to the aeronautical authorities of the other Party information relating to the establishment of the tariffs in a manner specified by such aeronautical authorities.

Article 14

Intermodal Cargo Services

Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect providers of cargo transportation of both Parties shall be permitted, without restriction to employ in connection with international air services any surface transportation for cargo to or from any points in the territories of the Parties or in third countries, including transport to and from all airports with customs facilities, and including, where applicable, the right to transport cargo in bond under applicable laws and regulations. Such cargo, whether moving by surface or by air, shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may elect to perform their own surface transportation or to provide it through arrangements with other surface carriers, including surface

transportation operated by other airlines and indirect providers of cargo air services. Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for the air and surface transportation combined, provided that shippers are not misled as to the facts concerning such transportation.

Article 15

Consultations and Settlement of Disputes

1. Either Party may, at any time, make a request in writing for consultations relating to this Agreement. Such consultations shall begin at the earliest possible date, but not later than 60 days from the date the other Party receives the request unless otherwise agreed.
2. Any dispute arising under this Agreement that is not resolved by a first round of formal consultations may be referred by agreement of the Parties for decision to some person or body. If the Parties do not so agree, the dispute shall, at the request of either Party, be submitted to arbitration in accordance with the procedures set forth below.
3. Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows:-
 - (a) Within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name one arbitrator. Within 60 days after these two arbitrators have been named, they shall by agreement appoint a third arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal;
 - (b) If either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, either Party may request the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the necessary arbitrator or arbitrators within 30 days. If the President of the Council is of the same nationality as one of the Parties, the most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall make the appointment. In the event that either the President or the most senior, qualified Vice President appoints the third arbitrator under this Paragraph, that third arbitrator shall not be a national of either of the Parties.
4. Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own procedural rules. The tribunal, once formed, may recommend interim relief measures pending its final determination. At the direction of the tribunal or at the request of either of the Parties, a conference to determine the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held not later than 15 days after the tribunal is fully constituted.
5. Except as otherwise agreed or as directed by the tribunal, each Party shall submit a memorandum within 45 days of the time the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later. The tribunal shall hold a hearing

at the request of either Party or on its own initiative within 15 days after replies are due.

6. The tribunal shall attempt to render a written decision within 30 days after completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies are submitted. The decision of the majority of the tribunal shall prevail.

7. The Parties may submit request for clarification of the decision within 15 days after it is rendered and any clarification given shall be issued within 15 days of such request.

8. Each Party shall, to the degree consistent with its national law, give full effect to any decision or award of the arbitral tribunal.

9. The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbitrators, shall be shared equally by the Parties. Any expenses incurred by the President of the Council of the International Civil Aviation Organization in connection with the procedures of paragraph 3(b) of this Article shall be considered to be part of the expenses of the arbitral tribunal.

Article 16

Amendment

1. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.

2. Any amendment so agreed shall enter into force when the Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of an amendment or revision have been met.

3. If, after entry into force of this Agreement, both Parties become party to a multilateral agreement that addresses matters covered by this Agreement, either Party may request consultations to determine whether this Agreement should be revised to take into account the multilateral agreement.

Article 17

Termination

Either Party may, at any time, give notice in writing to the other Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. This Agreement shall terminate at midnight at the place of receipt of the notice immediately before the first anniversary of the date of receipt of the notice by the other Party, unless the notice is withdrawn by agreement of the Parties before the end of this period.

Article 18

Registration with ICAO

This Agreement and all amendments thereto shall be registered upon its signature with the International Civil Aviation Organization.

Article 19


Entry into Force

This Agreement and its Annex shall enter into force on the date of the later note in an exchange of diplomatic notes between the parties confirming that each Party has completed the necessary internal procedures for entry into force of this Agreement and its Annex. This Agreement supercedes the existing Air Services Agreement signed between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives on 5th November, 1979.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi on this 24th day of December 2008, in duplicate, in the Hindi and English languages, both texts being authentic. In case of any doubt, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India



Pranab Mukherjee
Minister of External Affairs

For the Government of the
Republic of Maldives



Dr. Mohamed Jameel Ahmed
Minister of Civil Aviation & Communication

Section II

Routes for the airlines designated by the Government of the Republic of India:

Route 1

Points of Origin	Intermediate Points	Points Maldives	in	Beyond Points
Points in India	Any point in the SAARC Region	Any point		Any point in the SAARC Region

Route II

Points of Origin	Intermediate Points	Points Maldives	in	Beyond Points
Ahmedabad Amritsar Aurangabad Bhubaneshwar Calicut Cochin Gaya Goa Guwahati Jaipur Khajuraho Lucknow Patna Port Blair Thiruvananthapuram Tiruchirapalli Varanasi Visakhapatnam	Any point in the SAARC Region	Any point		Any point in the SAARC Region

Section III

1. Points mentioned in Section I and Section II need not necessarily be served in the order named.
2. Intermediate and beyond points on the specified routes may at the option of the designated airline(s), be omitted on any or all flights.
3. Intermediate or beyond points not specified in Section I and Section II may be served provided no 5th freedom traffic rights are exercised between such points and any point in the territory of the other Party.
4. Two or more points in the territory of one Party shall not be served on the same flight by the designated airline(s) of the other Party.

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
मालदीव गणराज्य की सरकार
के बीच

विमान सेवा करार

मालदीव गणराज्य तथा यूनाइटेड भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात् 'पक्ष') कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे अन्तरराष्ट्रीय विमानन सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहते हैं;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा विमान की सुरक्षा के विरुद्ध धमकी या कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद- एक
परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. "वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय प्रत्येक पक्ष के लिए प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों से है जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समय-समय पर लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है,
2. 'करार' का आशय इस 'करार', इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;
3. 'अभिसमय का आशय', 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी संशोधन को अपनाया गया है;
4. 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

5. 'पूर्ण लागत' का आशय प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत, जिसे तथा प्रशासनिक ओवरहेड के लिए उपयुक्त प्रभार सहित लागत से है;
6. 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं' का आशय एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के राज्य क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरती हो;
7. आयटा शब्द का आशय अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ से है,
8. 'गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' एयरलाइन और विमान सेवा का आशय वही है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में इनके लिए दिया गया है;
9. टैरिफ शब्द का अभिप्राय यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए एयरलाइनों, उनके एजेन्टों तथा इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों पर लिया जाने वाला कोई किराया, दर अथवा प्रभार से है,
10. 'उपयोगिता प्रभार' का आशय वह प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्कालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - दो अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार को निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को तत्पश्चात क्रमशः सहमत सेवाएं तथा "विनिर्दिष्ट" मार्ग कहा गया है।
2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-
 - (क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
 - (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और
 - (ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अन्तरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;
3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उक्त नामित कम्पनियों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों को पाने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गो में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

अनुच्छेद - तीन
पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए कितनी भी संख्या में अनुलग्नक में दिए गए निर्दिष्ट रूटों पर विमान कम्पनियों को नामित कर सकती है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी से लिखित रूप से अन्य संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यम के द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए जो अनुबन्ध में दिए गए विमान सेवाओं के प्रकार के अनुरूप प्राधिकृत है।
2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण नामित एयरलाइन के पास होगा जिसमें एक पक्ष के राष्ट्रिक या दो पक्ष के राष्ट्रिक हो;
- (ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;
- (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-6 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-7 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद - चार
प्राधिकार का प्रतिसंहरण

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, निलम्बन सीमित रख सकती है बशर्ते कि:

- (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य संविदाकारी पक्ष, पक्ष के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित नहीं है।
- (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-5 (कानूनों की प्रयोज्यता) मर्तर्णित कानूनों, विनियमों और नियमों का पालन करने में असफल रहती है;

(ग) अन्य संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद-7 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रही है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ ख अथवा ग के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-7 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों की प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार अथवा, तकनीकी अनुमति पर शर्तें लगा सकें।

अनुच्छेद - पांच कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मीदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क और संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष आब्रजन, संगरोध तथा इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में लगी हुई अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी किसी अन्य एयरलाइंस अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइंस को कोई अग्रता प्रदान नहीं करेगी।

अनुच्छेद-छः संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मी, विमान और नामित विमान कम्पनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी

रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलम्बन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य संविदाकारी पक्ष एक उपयुक्त समय में उपयुक्त निवारक कार्रवाई न कर दे।

4. पैराग्राफ 3 के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की कोई कार्रवाई उस समय समाप्त कर दी जाएगी यदि उक्त कार्रवाई वर्तमान में ही कर दी गई है।

अनुच्छेद- सात विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकाल, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबन्धों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का

प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

4. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने तथा इस बात के लिए पर्याप्त उपाय करने पर सहमत है कि अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उस की जांच करने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा होता है या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकरण तथा तकनीकी अनुमति वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपातस्थिति में आवश्यकता होने पर एक पक्ष 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद - आठ वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के संबंध प्रवेश, रिहायश तथा रोजगार के संबंध में कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार कार्य करने का अधिकार होगा जिससे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेष सेवा प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान सेवाओं की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से

अथवा एयरलाइन के विवेक से इसके एजेंटों के माध्यम से कर सकती है सिवाय उस स्थिति को छोड़कर उस देश के चार्टर विनियमों में विशेष रूप से व्यवस्था की गई हो जिस देश से चार्टर आरंभ होती है। जो यात्री निधियों, यात्रा रद्द तथा वापसी अधिकारों के साथ है। प्रत्येक एयरलाइन को इस प्रकार के परिवहन को इस प्रकार से बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र के मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने का अधिकारी होगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की मांग आने पर स्थानीय रूप से वितरित अधिकाय स्थानीय राजस्व को इसके अपने देश में परिवर्तन तथा जमा करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और जमा करने की अनुमति, जमा करने के लिए आरंभिक आवेदन करने के लिए विमान कम्पनी की लागू जमा करने की तारीख चालू कारोबार तथा लागू विनियम दर पर प्रतिबंध अथवा कराधान किए बिना तत्काल अनुमति दी जाएगी।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को स्थानीय व्यय के लिए भुगतान करने की अनुमति होगी जिसमें स्थानीय मुद्रा में अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान की खरीद भी शामिल होगी। उनकी मर्जी पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में इस प्रकार के व्यय के लिए स्थानीय मुद्रा विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकेगी।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के होने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का निर्वाह लागू अंतर्देशीय कानूनों, विनियमों और नियमों के अनुरूप होगा तथा दोनों पक्ष यह निर्धारित करेंगे कि कानून विनियम तथा नियमों की व्यवस्था एक गैर भेदभावपूर्ण कार्यवाही होगी तथा इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप होगी।

7. दोनों पक्ष अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर, यथा आवश्यक हवाई अड्डा स्लाट्स के नामन, हैंडलिंग सेवाओं, हवाई सेवाओं के विक्रय की क्षमता, कस्टम शुल्क तथा प्रभारों के प्रत्यायोजन, प्रयोक्ता प्रभारों, मुद्रा के परिवर्तन तथा प्रेषण के संबंध में, किन्तु इन तक सीमित नहीं, पक्षों की नामित एयरलाइनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले किसी भी पक्षपात अथवा अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के सभी उपाय अपनाएंगे।

अनुच्छेद - नौ सहकारी मार्केटिंग प्रबन्ध

1. जब विनिर्दिष्ट मार्ग (मार्गों) पर सहमत तथा सभी कार्गो सेवाओं का प्रचालन अथवा होल्डिंग करते समय दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी सहकारिता मार्केटिंग प्रबन्ध जैसे कि कोड शेयर, ब्लाक स्पेय तथा अन्य संयुक्त उद्यम प्रबंधों में भाग ले सकती है।

- (क) उसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
- (ख) अन्य संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें

- (ग) तीसरे देश की एयरलाइन अथवा एयरलाइनें
2. पैरा 1 के तहत प्रचालन करने वाली सभी एयरलाइनें:-
(क) सक्षम प्राधिकार होल्ड आउट करेंगी, तथा
(ख) ऐसे करार पर सामान्यतः लागू सभी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।
3. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनें) अन्य पक्ष के अधिकार क्षेत्र में विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं को जोड़ते हुए दो स्थानों के बीच प्रचालन के लिए अन्य पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ अंतरदेशीय कोड-शेयरिंग करार करेंगी।
4. एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में स्थानों के बीच अनुत्तट-व्यापार अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगी। तथापि, एक पक्ष के नामित एयरलाइन (एयरलाइनें), अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में स्थानों के बीच के सेगमेंट्स पर प्रवेश के समय के चौबीस(24) घंटे के भीतर अपने खुद के स्टाप-ओवर ट्रेफिक वाहित कर सकती है।
5. ऐसे करारों के तहत निष्पादित हवाई सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना केवल प्रचालन करने वाली एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में ही होगी। ऐसी सेवाओं पर मार्केटिंग एयरलाइन द्वारा ऑफर क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता संबंधी पात्रता की तुलना में नहीं की जाएगी।
6. ऐसे करारों के तहत, बिक्री के लिए सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, मार्केटिंग एयरलाइन बिक्री के समय खरीददार के समक्ष यह स्पष्ट करेंगी कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन करेगी तथा किस एयरलाइन(एयरलाइनों) के साथ खातेदार एक करारगत संबंध बना रहा है।

अनुच्छेद - दस
सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन को इसके विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मर्दे शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मर्दों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूटें पैरा 1 में संदर्भित मदों पर लागू होंगी :

(क) अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए;

(ख) अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान में रखे गए;

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर उड़ान के भीतर अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए और सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु प्रवृत्त;

चाहे ऐसी मदों का छूट प्रदान करने वाले पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर पूरी तरह उपयोग अथवा उपभोग हुआ हो अथवा नहीं, बशर्ते ऐसे मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं किया गया हो ।

3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित वायुयान उपस्कर के साथ-साथ सामग्रियों तथा आपूर्तियों को अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में केवल उस अन्य पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है । ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार पुनः उनका निर्यात अथवा अन्यथा निपटान हो जाने तक इन्हें किये जाने तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाए ।

अनुच्छेद - ग्यारह प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण होंगे, अन्यायपूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे, और प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुभाजित होंगे । किसी भी स्थिति में, ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर अभिकलन ऐसी शर्तों पर नहीं किया जाएगा जो प्रभारों को अभिकलित किए जाते समय अन्य किसी एयरलाइन को उपलब्ध सर्वाधिक अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल हों ।

2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाले निकायों अथवा सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों, हवाई अड्डा पर्यावरण, हवाई दिक्वालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डा व्यवस्था के भीतर सेवाओं की पूर्ण लागत परिलक्षित होंगी, किन्तु ये इनसे अधिक नहीं होंगे । इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन पश्चात परिसम्पत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है । जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, उन्हें एक कार्यकुशल तथा मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्य क्षेत्र में सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग कर रही एयरलाइनों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगा और सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों तथा एयरलाइनों को पैरा 1 तथा 2 के सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की अनुमति के लिए आवश्यक ऐसी सूचना के विनिमय के लिए प्रोत्साहित करेगा । प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों अथवा निकायों को प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोजनाओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तनों के किसी प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण नोटिस प्रदान करें जिससे कि प्रयोक्ता परिवर्तनों के लिए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें ।

4. कोई भी पक्ष, अनुच्छेद 17 (विचार विमर्श तथा विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं में, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगा, जहां तक (i) यह एक औचित्यपूर्ण समयावधि के भीतर उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने में विफल न हो जो अन्य पक्ष द्वारा की गई शिकायत का विषय है; अथवा (ii) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में यह अपनी शक्तियों के भीतर इस अनुच्छेद के विपरीत किसी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के सारे कदम उठाने में विफल न हो ।

अनुच्छेद - बारह आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं ।

2. अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को और वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित एक "आयटा" यातायात सीजन से अनधिक अवधि में वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे ।

अनुच्छेद - तेरह टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित की जाने वाली सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ की स्थापना न्यायोचित स्तरों पर की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित कारकों पर

उचित ध्यान दिया जाएगा, जिनमें प्रचालन की लागत, तर्कसंगत लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ शामिल हैं।

2. पैरा 1 के तहत स्थापित टैरिफों को एक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, जिसमें

- (क) अनुचित रूप से पक्षपातपूर्ण मूल्यों अथवा परिपाटियों की रोकथाम की जा सके;
 - (ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा की जा सके जो निजी एकाधिकार वाली स्थिति के दुरुपयोग की वजह से अत्यधिक अथवा रोधक हों; तथा
 - (ग) एयरलाइनों की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो अनैतिक अथवा कृत्रिम रूप से कम हों।
4. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से टैरिफ की स्थापना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद - चौदह

इंटरमोडल कार्गो सेवाएं

इस करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद दोनों पक्षों की एयरलाइनों तथा कार्गो पारवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को बिना प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में पक्षों के राज्य क्षेत्रों अथवा तीसरे देशों में किसी भी स्थान से तथा के लिए कार्गो के लिए कोई भूतल पारवहन नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें कस्टम सुविधा से युक्त सभी हवाई अड्डों के लिए तथा से परिवहन शामिल हैं तथा जहां लागू हो, प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के तहत कार्गो का परिवहन बंधपत्र में करने का अधिकार शामिल है। ऐसे कार्गो को चाहे इस भूतल से अथवा वायुमार्ग द्वारा लाया ले जाया जाए को हवाई अड्डा कस्टम प्रक्रिया तथा सुविधाएं सुलभ होंगी। एयरलाइनें अपना स्वयं का पारवहन निष्पादित करने का विकल्प चुन सकती हैं अथवा इसे अन्य भूतल वाहकों के साथ करारों के जरिए उपलब्ध करा सकती हैं जिनमें अन्य एयरलाइनों तथा कार्गो हवाई सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित भूतल पारवहन शामिल हैं। ऐसी इंटरमोडल कार्गो सेवाओं की पेशकश एक एकल तथा संयुक्त रूप से हवाई भूतल पारवहन के मूल्य के द्वारा की जा सकती है बशर्ते जलयान वाहकों को ऐसे पारवहन से संबंधित तथ्यों के प्रति दिग्भ्रमित न किया जाए।

अनुच्छेद - पंद्रह

परामर्श एवं विवादों का निपटान

1. प्रत्येक पक्ष, किसी भी समय, इस करार के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श यथासंभव शीघ्र आरंभ होंगे, किन्तु, अगर अन्यथा सहमत न हों तो, अन्य पक्ष द्वारा अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन से अधिक नहीं।

2. इस अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श के पहले दौर में सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजे जा सकते हैं। यदि पक्ष सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध से, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. मध्यस्थता एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :
 - (क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो माध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
 - (ख) यदि कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के उप-पैरा (ख) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से एक पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता नहीं होगी।
4. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगी और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अभिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।
5. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।
6. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

7. दोनों पक्ष निर्णय के लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के अनुरोध कर सकती हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा ।

8. प्रत्येक पक्ष, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक माध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा ।

9. माध्यस्थ अभिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्च शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा । इस अनुच्छेद के पैरा 3(ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा ।

अनुच्छेद - सोलह संशोधन

1. इस करार को दोनों पक्षों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जाएगा ।
2. इस प्रकार सहमत कोई भी करार तब लागू होगा जब पक्ष अपनी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर चुके होंगे तथा एक दूसरे को लिखित रूप में अधिसूचित कर चुकी होंगी कि किसी संशोधन अथवा पुनरीक्षण के लागू होने के लिए उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, सिवाय इसके कि इस करार की अनुसूची को वैमानिकी प्राधिकारियों के पारस्परिक लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।
3. यदि, इस करार के लागू हो जाने के बाद, दोनों पक्ष एक ऐसे पारस्परिक करार के पक्ष बन जाते हैं जिसमें इस करार में शामिल मामलों पर विचार किया गया हो, तो कोई भी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या पारस्परिक करार को ध्यान में रखने के लिए इस करार का पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - सत्रह समाप्ति

कोई भी पक्ष किसी भी समय करार समाप्त करने के अपने निर्णय का लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकती है। ऐसा नोटिस उसी समय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेज दिया जाएगा। यह करार दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार के पक्षों द्वारा नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता।

अनुच्छेद - अठारह इकाओं में पंजीकरण

यह करार तथा इसके सभी संशोधन हस्ताक्षर सहित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत रहेंगे।


अनुच्छेद - उन्नीस
प्रभावी होना

यह करार तथा इसके अनुलग्नक दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक नोट जो यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक पक्षने इस करार तथा इसके अनुलग्न के प्रभावी होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, के आदान प्रदान के बाद वाले नोट की तिथि से प्रभावी होंगे।


इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होते हुए, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2008 के दिसम्बर माह के 24वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के दो मूल पाठों में संपन्न किया गया; दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। संदेह ही स्थिति में अंग्रेजी का पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से


प्रणब मुखर्जी
विदेश मंत्री

मालदीव गणराज्य की सरकार
की ओर से


डा० मोहम्मद जमाल अहमद
नागर विमानन व संचार मंत्री

अनुबंध
अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं

मार्ग

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर अवतरण स्थलों के मध्य अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं निष्पादित के लिए पात्र होंगी :

खण्ड- I

मालदीव गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग

मार्ग I

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	दिल्ली मुम्बई चेन्नई कोलकाता हैदराबाद बंगलौर	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

मार्ग- II

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
मालदीव में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	अहमदाबाद अमृतसर औरंगाबाद भुवनेश्वर कालीकट कोचीन गया गोवा गुवाहाटी जयपुर खजुराहो लखनऊ	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

		पटना पोर्ट ब्लेयर तिरुवनन्तपुरम तिरुचिरापल्ली वाराणसी विशाखापटनम	
--	--	---	--

खण्ड- II

भारत गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग

मार्ग - I

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत के स्थान	परवर्ती स्थान
भारत में स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	कोई भी स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

मार्ग - II

मूल स्थान	मध्यवर्ती स्थान	मालदीव के स्थान	परवर्ती स्थान
अहमदाबाद अमृतसर औरंगाबाद भुवनेश्वर कालीकट कोचीन गया गोवा गुवाहाटी जयपुर खजुराहो लखनऊ पटना पोर्ट ब्लेयर तिरुवनन्तपुरम तिरुचिरापल्ली वाराणसी विशाखापटनम	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान	कोई भी स्थान	सार्क क्षेत्र में कोई भी स्थान

1. खण्ड । तथा खण्ड ॥ में वर्णित स्थानों पर दिए गए क्रम में सेवा प्रदान करना अनिवार्यता माध्यम नहीं है ।
2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती तथा परवर्ती स्थानों को नामित एयरलाइनों (एयरलाइनों) के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों से विलोप किया जा सकता है ।
3. खण्ड । तथा खण्ड ॥ में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए मध्यवर्ती अथवा परवर्ती स्थानों पर सेवा प्रदान की जा सकती है बशर्तें ऐसे स्थानों के बीच तथा अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।
4. एक पक्ष के राज्यक्षेत्र में दो या इससे अधिक स्थानों पर अन्य पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा एक ही उड़ान पर सेवा प्रदान नहीं की जाएगी ।